राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

State Election Commission, Bihar

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 15.05.2026

पंचायत आम निर्वाचन, 2026 हेतु "प्रपत्र-1" के प्रारूप प्रकाशन पर दावा/आपत्ति एवं अपीलीय व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना।

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू, पारदर्शी एवं निष्पक्ष संचालन के उद्देश्य से "प्रपत्र-1" का प्रारूप प्रकाशित किया गया है। उक्त प्रारूप के संबंध में आम नागरिकों, मतदाताओं एवं संबंधित पक्षों से ऑफलाइन/ऑनलाइन माध्यम से दावा अथवा आपति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 मई 2026 निर्धारित की गई है। आयोग पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के निमित शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तत्पर है।

- विज्ञप्ति लिखे जाने तक प्रपत्र-1 से संबंधित कुल 520 दावा/आपत्तियाँ प्राप्त हो चुके हैं, जिनके निष्पादन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

दावा/आपत्ति का पारदर्शी निष्पादन एवं अपीलीय व्यवस्थाः

दावा / आपत्तियों के पारदर्शी एवं त्वरित निष्पादन हेतु आयोग स्तर से अपील का भी प्रावधान किया गया है:

- ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी नियुक्त किये गए हैं तथा अनुमंडल पदाधिकारी को प्रथम एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी नामित किया गया है।
- जिला परिषद सदस्य पद हेतु अनुमंडल पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी नियुक्त किये गए हैं, जबकि जिला पदाधिकारी अपीलीय प्राधिकार होंगे।

निष्पादन की प्रक्रियाः प्रत्येक दावा आपति पर सुनवाई के बाद लिखित आदेश पारित किया जाएगा, जिसकी प्रति आपतिकर्ता को दी जाएगी। सुनवाई हेतु आपतिकर्ता को नोटिस निर्गत किया जाएगा एवं उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

संशोधन एवं अनुमोदनः यदि कोई आपति स्वीकार की जाती है, तो प्रपत्र-1 के प्रारूप में संशोधन हेतु जिला पदाधिकारी का अनुमोदन अपरिहार्य होगा।

अपील का प्रावधानः आदेश पारित होने के 03 दिनों तक आपतिकर्ता निर्धारित प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। समय-सीमा के पश्चात प्राप्त अपीलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

निष्पादन की प्रक्रियाः प्रत्येक दावा / आपत्ति पर सुनवाई के बाद लिखित आदेश पारित किया जाएगा, जिसकी प्रति आपत्तिकर्ता को दी जाएगी। सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर और नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। ऐसे मामले में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार-सह-जिला पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा, जिसके आधार पर पूर्व की भांति निर्धारित तिथि 15.06.2026 को प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

सभी संबंधित नागरिकों/मतदाताओं से अनुरोध है कि यदि उन्हें "प्रपत्र-1" के प्रारूप प्रकाशन के संबंध में कोई दावा अथवा आपत्ति दायर करनी हो, तो वे निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से आवश्यक प्रमाण-पत्रों सहित आवेदन कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 18 मई 2026 के उपरांत प्राप्त किसी भी दावा / आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

मतदाता/नागरिक हेतु सुविधा

- मतदाता के लिए ऑनलाईन सुविधा :- कोई भी मतदाता/ नागरिक राज्य निर्वाचन आयोग,बिहार के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्वाचन/मतदाता सूची/मतदान केन्द्र/ 'प्रपत्र-1' से संबन्धित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं ऑनलाइन दावा/आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं।
- इसके अलावा कोई भी व्यक्ति/मतदाता/अभ्यर्थी आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नंबर 1800-3457-243 पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी सूचना, सुझाव या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग,बिहार

Scanned with OKEN Scanner